



2026:AHC:63378

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या - 9863 वर्ष 2026

रजनीश पुत्र कृष्ण यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह,

उ.प्र. सरकार, लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं)के अधिवक्ता : द्विजेन्द्र प्रसाद

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 69

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. श्री द्विजेन्द्र प्रसाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री शिवदत्त शुक्ला, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.), राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित, को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन पत्र, आवेदक रजनीश की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 3 वर्ष 2026, धारा 318(4), 61(2) बीएनएस तथा धारा 66सी, 66डी आई.टी. अधिनियम, थाना साइबर क्राइम, जिला फिरोजाबाद में विचारण के लम्बित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। सह-अभियुक्त सोनू यादव को पहले ही इस न्यायालय की सम-पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या 8298 वर्ष 2026 में दिनांक 18.3.2026 के आदेश द्वारा जमानत दी जा चुकी है। यह आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक तथा सह-अभियुक्त सोनू यादव का नाम सह-अभियुक्त राघव के स्वीकारोक्ति बयान में उभरा था और उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक, जो दिनांक 2.2.2026 से जेल में निरुद्ध है, वचन देता है कि यदि जमानत दी जाए तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मुकदमों की अत्यधिक लम्बितता के कारण विचारण का शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है। यह आगे निवेदन किया गया है कि कुछ आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कथित रूप से बरामद हुए हैं और कथित है कि आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्त साइबर धोखाधड़ी में संलिप्त थे। यह आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक तथा सह-अभियुक्त सोनू यादव का नाम सह-अभियुक्त राघव के स्वीकारोक्ति बयान में उभरा था। सह-अभियुक्त सोनू यादव को पहले ही इस न्यायालय की सम-पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।



5. आवेदक उन दोनों मामलों में जमानत पर है जो गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध दर्शाए गए हैं, इसके अतिरिक्त आवेदक दो अन्य मामलों में भी जमानत पर है। आवेदक दिनांक 2.2.2026 से जेल में निरुद्ध है।

6. समस्त तथ्यों की समग्रता, प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत का उचित प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त वर्णित मामले में अभियुक्त आवेदक - **रजनीश**, की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे रु. 50,000/- का व्यक्तिगत मुचलका एवं उसी धनराशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से निरुत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं डालेगा/भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले का प्रारम्भ, (ii) आरोप विरचन और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अंकित करने हेतु नियत तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन पत्र के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में किसी भी प्रकार नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

कुमार मनीष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।